न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-504RAAJodhpur2022-307RTA225 Deeparam Vs Padmaram etc

दीपाराम पुत्र श्री बुधाराम, जाति- जाट, निवासी- ग्राम महादेव नगर, चेराई, तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. पदमाराम पुत्र देदाराम
02. चिमाराम पुत्र देदाराम
03. समाराम पुत्र आईदानराम
    सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम बैरड़ो का बास, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
04. श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी औसियां, जिला जोधपुर।
05. श्रीमान् तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 10 जनवरी 2022 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2022 पदमाराम व अन्य बनाम दीपाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री ए.आर. बेनीवाल ,अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार व पांच

नि र्ण य

दिनांक : 18 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2022 अनवान पदमाराम व अन्य बनाम दीपाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 जनवरी 2022 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 25 नवंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 8/1 रकबा 0.9308 हैक्टेयर, खसरा नं. 9 रकबा 0.9955 हैक्टेयर ग्राम बैरड़ो का बास तहसील तिवंरी के संबंध में वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी में से रास्ता नहीं निकालने तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र अन्तरिम रूप से स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा दिनांक 19.11.2021 को आदेश क्रमांक/कोर्ट/2021/1175 बअनवान सरकार बनाम पूनाराम इत्यादि में तहसीलदार औसियां के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जमाबंदी, नकल नक्शा, पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक, अभिशंषा तहसीलदार औसियां का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के पश्चात ग्राम बैरड़ो का बास तहसील औसियां के खसरा नं. 3 रकबा 0.579

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हैक्टेयर में से 0.0195 हैक्टेयर, खसरा नं. 8/1 रकबा 0.9308 में सें 0.4141 हैक्टेयर, खसरा नं. 9 रकबा 0.9955 हैक्टैयर में सें 0.0389 हैक्टेयर भूमि मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया, जिस आदेश को आज दिन तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। यानि उपरोक्त वर्णित आदेश फाईनल हो चुका है। मौके पर ग्रेवल सड़क भी डाली हई है तथा उक्त रास्ता 100 वर्षो से चल रहा है। उक्त रास्ते पर ग्राम पंचायत बेरड़ो के बास द्वारा पुनः जीर्णोधार हेतु सर्वसहमति से प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किये जाने के बावजूद भी अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त खसरान् के राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं किये जाने तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश प्रभाव में रहता है तो किसी भी राजस्व न्यायालय के किसी भी आदेश का कोई औचित्य नहीं रहेगा। रेस्पोडेंट्स अपीलाधीन आदेश की आड़ में मौके पर रास्ता बंद करने पर आमादा है। इसलिए अपीलांट को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलांट को आलौच्य आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। दिनांक 26.09.2022 को रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा ऐलानिया धमकी दी गई कि जो ग्रेवल सड़क चकतराणिया बस स्टेण्ड से डउकिया का बास सरहद तक जाती है, उसे हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमने विद्वान उपखण्ड अधिकारी से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। तब अपीलांट द्वारा आलौच्य आदेश की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 27.09.2022 को नकल लेने पर सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10 जनवरी 2022 को निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रुख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक तहसीलदार ओसियां द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत ग्राम बेरड़ो का बास खसरा नं. 3, 8/1, 9 में मौके पर विद्यमान सार्वजनिक रास्ते को रेकर्ड में दर्ज करने के आवेदन पर उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा अपने आदेश क्रमांकः कोर्ट/2021/1175 दिनांक 19.11.2021 के जरिये उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रेकर्ड में करते हुए खातेदारान् के खातेदारी में गैर मुमकिन रास्ते के रुप में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। अपीलांट का कथन है कि उक्त आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई हैं। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना तथा अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसके विरुद्ध प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

चूंकि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण होना शेष है। लिहाजा मामला विचारण न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतिम निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2022 अनवान पदमाराम व अन्य बनाम दीपाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 जनवरी 2022 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त समय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर